



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 304 राँची, सोमवार,

8 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

22 मई, 2026

आदेश सं0-03/आरोप-11-07/2026 का०-3118--श्री छुटेश्वर कुमार दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-297/20), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के विरुद्ध उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा साहेबगंज जिलान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के भू-अर्जन मामले के निष्पादन में अभिरुचि नहीं लिये जाने एवं समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कार्यों के निष्पादन नहीं किये जाने संबंधी मामले में इनसे कारण पृच्छा पूछते हुए उसकी प्रतिलिपि जापांक09, दिनांक 05.01.2026 विभाग को दी गई ।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-1381, दिनांक 06.03.2026 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से श्री छुटेश्वर कुमार दास, झा०प्र०से०, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के विरुद्ध यदि आरोप स्पष्ट हो तो आरोपों को विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित करते हुए अनुलग्नक4, गवाहों की विवरणी के साथ उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है ।

3. उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-180/स्था०, दिनांक 16.04.2026 द्वारा श्री छुटेश्वर कुमार दास, झा०प्र०से०, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के विरुद्ध आरोप के संबंध में प्रतिवेदित किया गया कि साहेबगंज जिलान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं अन्तर्गत किए जा रहे भू-अर्जन मामलों के समीक्षोपरांत आरोप परीलक्षित नहीं हो रहा है, अतः श्री दास के विरुद्ध आरोप शून्य समझा जाए।

4. अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त, साहेबगंज के प्रतिवेदन के आलोक में श्री छुटेश्वर कुमार दास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-297/20), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जा सकता है।

चिन्टू दोरोईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
